न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 176/2019 तारीख रजू:– 06.12.2019

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

विद्या उम्र 72 साल बेबा बाबूलाल जाति राय निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ——————————— सायला

बनाम

1. रामनिवास उम्र 70 साल | पिसरान जमनालाल जाति राय
2. अमृतलाल उम्र 70 साल | निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली —— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायला

श्री पुरूषोत्तम गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01,2

निर्णय

दिनांक :– 18.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायला ने माननीय न्यायालय में गैरसायलान के खिलाफ दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है जो काफी मजबूत है। जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायला व गैरसायल सं01 व 2 एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, जिसका सजरा निम्न प्रकार है। जमनालाल (फौत) के तीन लडके बाबूलाल (फौत), रामनिवास (गै.सा.नं01), अमृतलाल (गै.सा.नं02), है। बाबूलाल (फौत) के वारिस विधा देवी बेबा बाबूलाल सायला है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सायला के ससुर व गैरसायल नं01 व 2 के पिता जमनालाल [illegible] आज से करीब 20–22 साल पहले फौत हो चुके हैं। सायला [illegible] की बेबा है तथा जायज कायम मुकाम कानूनी वारिस है, जो उसके तर्के [illegible] काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायला के ससुर व गैरसायल सं01 व 2 के पिता जमनालाल की पैत्रिक आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 387 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 388 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 398 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 4738 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 4739 रकबा 17 बिस्वा, 4740 रकबा 7 बिस्वा, 4740/6229 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके तन हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2029 से 32 में दर्ज है। उक्त आराजीयात में सायला व गैरसायल सं01 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं इसलिए प्रथम दृष्टया केस सायला का बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 4 प्रार्थना पत्र के भू–प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 75 एयर, 1699 रकबा 54 एयर, 1703 रकबा 1 एयर, 1704 रकबा 58 एयर, 1705 रकबा 66 एयर, 6423 रकबा 20 एयर, 6424 रकबा 10 एयर, 6556 रकबा 30 एयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 कायम किये हैं तथा सायला व गैरसायल नं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं तथा जमनालाल की मृत्यु के पश्चात आराजीयात मुतजिका मद नं0 5 प्रार्थना पत्र का राजस्व कर्मचारियों से साज कर जरिये नामान्तकरण सं0 514 दिनांक 08.06.1995 को सम्पूर्ण भूमि गैरसायल सं01 व 2 ने अपने नाम करवा ली तथा राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया। जिसका सायला को पता तक नहीं चलने दिया जबकि उक्त भूमि में सायला का 1/3 हिस्सा मुताविक कानूनन होता है तथा सायला का नामान्तकरण खोलते वक्त नाम भी दर्ज नहीं होने दिया।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं05 प्रार्थना पत्र का गैरसायल नं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2044 से 47 में अमल दरामद होने के पश्चात उक्त आराजीयात में करीब 5 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया, इसका भी सायला को इल्म नहीं होने दिया तथा शेष 7 बीघा जमीन का आपसी समझौते से बंटवारा कर सायला को गैरसायल नं01 रामनिवास ने आराजीयात हाल खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 1698 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली तथा हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं02 ने आराजी हाल खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 6 एयर, 1703 रकबा 1 एयर, 1704 रकबा 58 एयर कुल किता 3 कुल रकबा 65 एयर वाके तन हिण्डौन को अपने नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

प्राथना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायला का आराजीयात मुतजिका मद नं0 5 प्रार्थना पत्र में पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण कानूनन 1/3 हिस्सा होने के कारण गैरसायल सं01 व 2 अपने हिस्से की 5 बीघा भूमि विक्रय करने के पश्चात सायला आराजीयात हाल खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 25 एयर, 1698 रकबा 75 एयर, 10160/1705 रकबा 16 एयर, 1703 रकबा 1 एयर, 1704 रकबा 58 एयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 है0 बाके तन कस्बा हिण्डौन सिटी के 4 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 26.09.2019 सुबह 8 बजे का है कि सायला ने गैरसायल सं0 1 व 2 से कहा कि आप मुझे मेरी जमीन में से अलग हिस्सा दो तथा मेरे नाम अलग खातेदारी करवा दो तब गैरसायल नं0 1 व 2 ने कहा कि तेरे नाम कोई जमीन नहीं है तथा कहा कि पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमने उक्त सभी जमीन राजस्व कर्मचारियों से साज कर हमारे नाम करवा ली तब सायला ने कहा कि आपने मेरे हिस्से की जमीन को अपने नाम दर्ज करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब गैरसायल नं01 व 2 ने कहा कि तुझे करना हो सो कर लेना हम उक्त शेष रही जमीन को भी विक्रय करेंगे तथा तुमको बेदखल करेंगे तब सायला ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तथा उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं0 1 व 2 ने सायला के 1/3 हिस्से की पैत्रिक भूमि को विक्रय कर दिया तो सायला बर्बाद हो जावेगी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द न किये जाने में सायला को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायला के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 25 एयर, 1698 रकबा 75 एयर, 10160/1705 रकबा 16 एयर, 1703 रकबा 1 एयर, 1704 रकबा 58 एयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 है0 बाके ग्राम हिण्डौन सिटी के 1/3 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि जिससे सायला के हक, [illegible] पर विपरीत प्रभाव पडे, रहन बय नहीं करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 13.01.2020 को गैरसायलान की ओर से श्री हुकमसिंह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

गुर्जर एडवोकेट उपस्थित आये तथा दिनांक 25.08.2020 को गैरसायल नं0 1 व 2 की ओर से श्री पुरूषोत्तम गोयल एडवोकेट ने बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

गैरसायल नं01 व 2 की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायला के द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध दावा दायर करना स्वीकार है। मगर सायला को उक्त दावे में सफलता की लेशमात्र भी गुंजाईश नहीं है। दावा बिल्कुल गलत,झूंठा व खिलाफ कानून पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है व अस्वीकार है। उक्त मद में जमनालाल का बिल्कुल गलत व अधूरा सजरा पेश किया है तथा उक्त सजरे में जमनालाल की तीन पुत्रियॉ दुर्गी देवी, अंगूरी देवी व कमला देवी को नहीं बताया गया है तथा दुर्गी देवी व अंगूरी देवी के फौत होने से उसके वारिसानों को व कमला देवी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण दावा व प्रार्थना पत्र हाजा में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज है व प्रेमवती पुत्री बाबूलाल, जो कि वादीया की लडकी है को सजरे में वादीया द्वारा नहीं दर्शाया है और ना ही प्रकरण में उसे पक्षकार बनाया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र व दावा हाजा में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज है। इस प्रकार सायला क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है। इसलिए प्रार्थना पत्र हाजा नॉन जोईण्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज का नुक्श एवं अनक्लीन हैण्ड होने से सायला कानूनन साम्य के सिद्धान्त की कोई भी रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। सायला के ससुर व गैरसायल सं01 व 2 के पिता जमनालाल होना सही है तथा जमनालाल आज से करीब 20–22 साल पूर्व फौत नहीं हुए बल्कि दिनांक 21.01.1995 को फौत हो चुके हैं। सायला मृतक बाबूलाल की बेबा होना स्वीकार है। लेकिन सायला ही एक मात्र बाबूलाल की जायज मुकाम कानूनी वारिस नहीं है बल्कि सायला की एक पुत्री प्रेमवती भी बाबूलाल की सन्तान है, जो उसकी जायज मुकाम कानूनी है। जिसे सायला ने बतौर बदयान्ति नहीं बताया है तथा तथ्यों को छुपाकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गय[illegible]कार नहीं है। सायला के ससुर व गैरसायल नं01 व 2 के पिता जमनालाल [illegible] कोई पैत्रिक आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 387, 388[illegible]29 कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा तहसील हिण्डौ[illegible] स्थित नहीं थी बल्कि उक्त आराजी उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सं0 2029 से 32 में उक्त भूमि गैरसायल सं01 व 2 के पिता जमनालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में सायला गैरसायल नं0 1 व 2 के साथ कोई संयुक्त रूप से काश्त करती नहीं चली आ रही है बल्कि उक्त भूमि का गैरसायल सं0 1 व 2 ही एक मात्र काबिज व दखील होकर बतौर खातेदार उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से सायला या किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता व कब्जा किसी प्रकार का नहीं है। सायला का कोई पृथम दृष्टया केस साबित नहीं है। सायला का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1698, 1699, 1703, 1704, 1705, 6423, 6424, 6556 कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन साबिक खसरा नम्बर 387,388,398,4738,4739,4740, 4740/6229 कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा तहसील हिण्डौन से कायम होना सही है मगर सायला उक्त भूमि पर गैरसायल नं01 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काश्त नहीं कर रही है और ना ही कोई उपयोग उपभोग कर रही है। बल्कि उक्त मद में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1698, 1699, 1703, 1704, 1705, 6423, 6424, 6556 कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन का गैरसायल सं01 व 2 मुताविक नामान्तकरण सं0 654 तारीखी 08.06.1995 से खातेदार काश्तकार होकर उसका निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि से सायला का कोई सम्बन्ध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायल सं0 1 व 2 उक्त भूमि की भेज अदा कर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज व दखील होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। सायला का कोई सुविधा का सन्तुलन नहीं है बल्कि सुविधा का गैरसायल सं01 व 2 के हक में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है तथा स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं0 1 व 2 कोई चालाक किस्म के व्यक्ति नहीं है। गैरसायल सं0 1 व 2 के पिता जमनालाल की मृत्यु के बाद आराजी मुतजिका मद नं0 5 प्रार्थना पत्र का उन्होंने कोई राजस्व कर्मचारियों से साज कर जरिये नामान्तकरण सं0 564 सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम नहीं करवाया और ना ही उसका राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि जमनालाल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रहीं है तथा जमनालाल की सेवा गैरसायल सं01 व 2 के द्वारा करने पर जमनालाल ने अपनी सम्पूर्ण आराजीयात का एक वसीयतनामा दिनांक 13.09.1989 को एक-एक रूपये के तीन किता स्टाम्पों पर विष्णुदयाल सेईवाल डीडराईटर से गैरसायल सं01 व 2 के हक में तहरीर व तकमील कराकर तथा गवाहान के समक्ष पढ़ सुन व समझाकर उस पर अपने प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर दिये तथा गवाहों गवाहान करा दी तथा विष्णुदयाल सेईवाल ने भी बकलम के अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा उक्त दिनांक को ही उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सबरजिस्ट्रार हिण्डौन के यहाँ पंजीबद्ध किया गया व अतिरिक्त पुस्तक सं0 III जिल्द सं0 6 पृष्ठ सं0 47 क्रम संख्या 31 पर पंजीबद्ध कर किया गया व अतिरिक्त पुस्तक सं0 III जिल्द 3 पुस्तक सं0 322 से 324 पर चस्पा किया गया तत्पश्चात जमनालाल के फौत होने पर उक्त वसीयत एक्ट अपोन होकर फोर्स में आ गयी और मुताविक वसीयत उक्त वसीयतशुदा (विवादित भूमि) भूमि का नामान्तकरण सं0 564 तारीखी 08.06.1995 को तस्दीक होकर उक्त भूमि की खातेदारी गैरसायल सं01 व 2 के हक में आ गयी, जिसका सायला को वसीयत तारीखी 13.09.1989 से व नामान्तकरण नम्बर 564 तारीखी 08.06.1995 से बखूबी इल्म है, इस प्रकार गैरसायल सं01 व 2 विवादित आराजीयात के तारीखी 08.06.1995 से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज व दखील होकर बइल्म सायला निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसका सायला को बखूबी पता है। उक्त भूमि में सायला का कोई 1/3 हिस्सा मुताविक कानून नहीं है। उक्त वसीयतनामा व नामान्तकरण का सायला को बखूबी इल्म है क्योंकि उसके द्वारा उक्त नामान्तकरण नम्बर 564 तारीखी 08.06.1995 की अपील श्रीमान् न्यायालय में दिनांक 11.09.1995 को अपील सं017/1995 उनवानी विधा बनाम रामनिवास आदि दायर की थी, जो दिनांक 04.07.2000 को श्रीमान् न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी । इस प्रकार सायला को उक्त सम्पूर्ण स्थिति का भली भॉति इल्म रहा है। सायला क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। उसके मेटेरियल तथ्यों को छिपाया है तथा कानूनन खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध पूर्व में सायला की अपील खारिज होने से प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का बिन्दू आरिज होने से प्रार्थना पत्र सायला कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 के नाम विवादित भूमि मुताविक रजिस्टर्ड वसीयत जमनालाल की मृत्यु के उपरान्त वसीयत के फोर्स में आने पर व एक्टापोन होने से विवादित आराजी की खातेदारी गैरसायल सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। जिसका बखूबी इल्म सायला को चला आ रहा है। गैरसायल सं0 1 व 2 ने कोई 5 बीघा भूमि का विक्रय नहीं किया। बल्कि हाल खसरा नम्बर 6423 रकबा 0.20 है0, 6424 रकबा 0.10 है0 व 6556 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 है0 भूमि आबादी में आ जाने से 90 बी. होकर किस्म गै0मु0 आबादी खातेदारी नगर पालिका हिण्डौन के नाम दर्ज हो गई तथा शेष खसरा नम्बर 1698, 1699, 1703, 1704, 1705, कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 स्थित कस्बा [illegible] गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी में रहा। तत्पश्चात गैरसा[illegible] आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त खसरा नम्बर में से खसरा न[illegible] 1699 रकबा 0.54 है0 कस्बा हिण्डौन को जरिये रजिस्टर्ड [illegible] पत्नि घूरेराम जाट निवासी बरगमा हि01/2, बतीदेवी पत्नि गोपाल जाट निवासी बरगमा हि01/4, कल्पना चौधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्नि रामसहाय जाट निवासी कुँसाय हि01/4 बेचान कर दिया गया जिसका नामान्तकरण सं0 3247 दिनांक 21.07.2009 को केतागण के हक में खुलकर जमाबन्दी सं0 2063 से 68 में उसका अमल दरामद हो चुका है और उक्त खरीददार अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज हैं तथा शेष आराजीयात खसरा नम्बर 1698, 1703, 1704, 1705, कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 कस्बा हिण्डौन गैरसायल सं01 व 2 के हक में चले आ रहे हैं। जिसका सायला को बखूबी इल्म है। तत्पश्चात गैरसायल सं0 1 व 2 के द्वारा आपसी सहमति से शेष खसरा नम्बर 1698, 1703, 1704, 1705, कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 कस्बा हिण्डौन का तकास्मा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है0 कस्बा हिण्डौन गैरसायल सं02 अमृतलाल पुत्र जमनालाल के हक में आया तथा खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 1698 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 कस्बा हिण्डौन गैरसायल सं01 रामनिवास पुत्र जमनालाल के हक में आया। जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2071 से 74 से बखूबी स्पष्ट है तथा गैरसायल सं0 1 व 2 अपने अपने हिस्से में आयी खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर दखील व काश्त करते चले आ रहे हैं। गैरसायल सं02 अमृतलाल पुत्र जमनालाल ने अपने हिस्से में आयी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भविष्य पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन के हक में बेचान कर दिया, जिसका नामान्तकरण तस्दीक होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2071–74 में अमल हो चुका है। इस प्रकार केता भविष्य पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन भूमि खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन का खातेदार काश्तकार हो गया है तथा मौके पर काबिज व दखील चला आ रहा है। उक्त समस्त बेचान व तकास्मा का सायला को भली भॉति इल्म रहा है। सायला व गैरसायल सं0 1 व 2 के मध्य कोई आपसी समझौता से विवादित भूमि का कोई बंटवारा सायला से नहीं हुआ। सायला का विवादित भूमि से जब कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है तथा ना ही वह खातेदार है तो उससे गैरसायल सं0 1व 2 का आपसी समझौता से बंटवारा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैरसायलान के मध्य आपसी बंटवारा से गैरसायल सं01 के पास 1.00 है0 भूमि उसके हिस्से में आयी और वह उसका सही खातेदार काश्तकार मुताविक कानून है तथा मौके पर काबिज व दखील है। सायला का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 8 में दर्ज आराजीयात का कुल रकबा 0.65 है0 ना होकर 0.75 है0 होता है, जो गैरसायल सं02 अमृतलाल पुत्र जमनालाल के नाम खातेदारी मुताविक

Scanned by CamScanner

कानून सही दर्ज है तथा गैरसायल सं02 मौके पर काबिज व दखील होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। आराजीयात मुतजिका मद नं0 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति सायला की कोई पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है और ना ही सायला का उक्त सम्पत्ति में कानूनन कोई 1/3 हिस्सा होता है। गैरसायल सं0 1 व 2 द्वारा द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से विक्रय किये गये हैं वह मुताविक कानून बिल्कुल सही किये गये हैं। हाल खसरा नम्बर10161/1705 रकबा 0.25है0 , 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1698 रकबा 0.75 है0 कुल किता 5 कुल रकबा1. 75 है0 कस्बा हिण्डौन में सायला किसी भी प्रकार से 4 बीघा की खातेदार काश्तकार नहीं है। बल्कि सायला का उक्त भूमि से कभी कोई वास्ता नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। विस्तृत जबाव उपरोक्त मदों में दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 10 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त मद में दर्ज कोई वाकया सायला व गैरसायल सं01 व 2 के मध्य नहीं हुआ और ना ही उक्त मद में दर्ज तथाकथित वार्तालाप सायला व गैरसायल सं0 1 व 2 के मध्य दिनांक 26.09.2019 को या कभी हुआ और ना ही गैरसायल सं0 1 व 2 ने उक्त मद में दर्ज तथाकथित धमकी सायला को दी है। सायला ने उक्त मद में दर्ज समस्त तथ्य झूंठे, मनगढन्त एवं कपोल कल्पित महज मुकदमा दायर करने की गरज से दर्ज किये हैं। प्रार्थना पत्र सायला खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं011 गलत है अस्वीकार है। सायला ने उक्त मद में यह कहीं नहीं बताया है कि उसके 1/3 हिस्से की पैत्रिक आराजी कौनसी है। जब सायला की विवादित भूमि कोई पैत्रिक आराजी है ही नही तो उसका उसमें 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बल्कि विवादित भूमि गैरसायल सं01 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बसीयत पत्र से प्राप्त उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे सायला या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्त कभी भी किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। कानूनन खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि में सम्बन्ध में पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थना पत्र सायला खातेदारी व कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं है। सायला का विवादित भूमि से कोई वास्ता ही नहीं है तो उसे किसी प्रकार की क्षति होने का व उसकी पूर्ति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि क्षति का ... गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं012 गलत है, अस्वीकार है। उक्त मद का विस्तृत जबाव उपरोक्त मदों में दिया जा चुका है। सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है बल्कि पाबन्द करने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 किता 2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2029से 32, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2044 पेश किये है।

इसके विपरीत गैरसायल सं01 व 2 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी आधार वर्ष, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2044, फोटो प्रति रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 13.09.1989 उनवानी श्री जमनालाल बहक रामनिवास अमृतलाल पिसरान जमनालाल , फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 564 फैंसल दिनांक 08.06.1995 , फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 17/अपील/95 निर्णय दिनांक 14.07.2000 उनवानी विद्या बनाम रामनिवास वगैराह अपील नामान्तकरण की सम्पूर्ण आदेशिका, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 17/अपील/95 उनवानी विद्या बनाम रामनिवास वगैराह अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 564 दिनांक 15.04.1995 , फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 66, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–2070, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 3, पेश किये हैं।

सायला एवं गैरसायल सं01 व 2 के वकील उपस्थित। वकील सायला एवं गैरसायल सं01 व 2 की बहस सुनी गई। वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल सं01 व 2 के वकील ने दौराने ने बहस जबावप्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

सायला एवं गैरसायल सं01 व 2 के वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी [illegible] नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 1698 रकबा 0.75 है0 [illegible] है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास पुत्र जमनालाल जाति [illegible] निवासी ग्राम खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर [illegible] के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 5943 दिनांक 21.08.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रहनमुक्त खसरा नम्बर 10161/1705, 1698 पर रामनिवास पुत्र जमनालाल का नामान्तकरण प्रकियाधीन है दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी अमृतलाल पुत्र जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2029 से 32 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 387 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा, 388 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 398 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 4737 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 4739 रकबा 17 बिस्वा, 4740 रकबा 7 बिस्वा, 4740/6029 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी जमनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 398 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, साविक खसरा नम्बर 388 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, साबिक खसरा नम्बर 387 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.66 है0, साबिक खसरा नम्बर 4739 रकबा 18 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 6423 रकबा 0.20 है0, साबिक खसरा नम्बर 4740 रकबा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 6424 रकबा 0.10 है0, साबिक खसरा नम्बर 4737 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 6556 रकबा 0.30 है0 कस्बा हिण्डौन दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2044 एवं आधार वर्ष के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, 6423 रकबा 0.20 है0, 6424 रकबा 0.10 है0, 6556 रकबा 0.30 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी जमुनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 564 दिनांक 08.06.1995 के अनुसार सम्पूर्ण खाता रामनिवास अमृतलाल पि0 जमनालाल जाति राय निवासी हिण्डौन के नाम स्वीकार है, दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास पि0 जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 66के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास अमृतलाल पि0 जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3247 दिनांक 21.07.2009 द्वारा विक्रय से खसरा नम्बर 1699 रकबा 0.54 है0 खातेदारान के बजाय लीलावती पत्नि घूरेराम जाट बरगमा हि01/2, वतीदेवी पत्नि गोपाल जाट बरगमा हि01/4, कल्पना चौधरी पत्नि रामसहाय जाट कुसांय हि01/4 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 3677 दिनांक 04.11.2010 के द्वारा खसरा नम्बर 1699 को छोडकर रामनिवास पुत्र जमनालाल हि01/2 एस.बी.बी.जे. हिण्डौन में रहन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–2070 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास अमृतलाल पि0 जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3677 दिनांक 04.11.2010 के द्वारा रामनिवास पुत्र जमनालाल हि01/2 एस.बी.बी.जे. हिण्डौन में रहन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 4006 दिनांक 26.12.2011 अमृतलाल का 1/2 हिस्सा पी.एन.बी. शाखा हिण्डौन के हक में रहन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1699 रकबा 0.54 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी कल्पना चौधरी पत्नि रामसहाय हि01/4 जाति जाट निवासी कुसांय तहसील गंगापुर, वतीदेवी पत्नि गोपाल हि01/4 जाति जाट निवासी बरगमा, लीलावती पत्नि घूरेराम हि01/2 जाति जाट निवासी बरगमा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 13.09.1989 उनवानी श्री जमनालाल बहक रामनिवास अमृतलाल पिसरान जमनालाल उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन के यहाँ रजिस्टर्ड हुई है। जिसमें वसीयतकर्ता जमनालाल ने अंकित किया है कि मेरे मरणोपरान्त मेरी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, 6423 रकबा 0.20 है0, 6424 रकबा 0.10 है0, 6556 रकबा 0.30 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रथमपक्ष के स्थान पर द्वितीय पक्ष रामनि[illegible]लाल को अपने नाम दज कराने का पूर्ण अधिकार होगा। मेरे [illegible] खाम मकानियत की मिल्कीयत नगर पालिका हिण्डौन के रिकार्ड [illegible] द्वितीयपक्षगण को अपने नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार हो[illegible]री समस्त चल व अचल सम्पत्ति, कृषि भूमियॉ, मकानियत, नकदी,जेवर, मवेशी, अनाज, तिलहन,दलहन आदि के सभी अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त होंगे तथा मेरी समस्त सम्पत्ति के स्वामित्व व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्वत्व उपयोग उपभोग, परिवर्तन, परिवर्धन, हस्तांतरण, हक काश्त, हक खातेदारी कृषि भूमि, हक अदायगी लगान कृषि भूमि, हक निर्माण सुधार आदि के सम्पूर्ण अधिकार द्वितीयपक्षगण को ही प्राप्त होंगे जिनको कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकेगा यदि चुनौती करेगा तो अन्य होगी और राज पंच में झूठा माना जावेगा।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 564 फैंसल दिनांक 08.06.1995 खसरा नम्बरान किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 कस्बा हिण्डौन का खातेदार जमनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के स्थान पर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 13.09.1989 के अनुसार रामनिवास अमृतलाल पि0 जमनालाल जाति राय निवासी हिण्डौन के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.04.1995 को भरा गया है तथा तहसीलदार हिण्डौन द्वारा दिनांक 08.06.1995 को उक्त नामान्तकरण मूल वसीयतनामा, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये, मताबिक वसीयतनामा रजिस्टर्ड नवीन अंकन स्वीकार किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 17/अपील/95 निर्णय दिनांक 14.07.2000 उनवानी विद्या बनाम रामनिवास वगैराह अपील नामान्तकरण की सम्पूर्ण आदेशिका एवं अपील के अनुसार उक्त अपील नामान्तकरण सं0 564 दिनांक 13.09.1995 को सायला विद्या द्वारा पेश की गई थी तथा उक्त अपील दिनांक 10.07.2000 को अपीलान्ट व उसके वकील उपस्थित नहीं होने पर अपील अदम हाजरी में खारिज की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 387 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा, 388 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 398 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 4737 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 4739 रकबा 17 बिस्वा, 4740 रकबा 7 बिस्वा, 4740/6029 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन जमनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो नकल जमाबन्दी सं0 2029 से 32 के अवलोकन से स्पष्ट है। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, 6423 रकबा 0.20 है0, 6424 रकबा 0.10 है0, 6556 रकबा 0.30 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं। जिनकी खातेदारी जमुनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 564 दिनांक 08.06.1995 के अनुसार सम्पूर्ण खाता रामनिवास अमृतलाल पि0 जमनालाल जाति राय निवासी हिण्डौन के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है, जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2044 एवं आधार वर्ष के के अवलोकन से स्पष्ट है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1699 रकबा 0.54 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0, 6423 रकबा 0.20 है0, 6424 रकबा 0.10 है0, 6556 रकबा 0.30 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.14 है0 वाके कस्बा हिण्डौन के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

जमनालाल पुत्र रामहेत जाति राय निवासी हिण्डौन के द्वारा अपने पुत्र रामनिवास व अमृतलाल गैरसायल सं01 व 2 के हक में दिनांक 13.09.1989 को रजिस्टर्ड वसीयत कराई गई है जिसके आधार पर खातेदार जमनालाल की मृत्यु के पश्चात गैरसायल सं01 व 2 के हक नामान्तकरण सं0 564 दिनांक 08.06.1995 को भरा गया है। जिसकी अपील सायला के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के यहाँ अपील सं0 17/1995 पेश की जो दिनांक 04.07.2000 को अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी गैरसायल सं0 1 व 2 के हक में दिनांक 08.06.1995 से गैरसायल सं0 1 व 2 के नाम रही है। उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी गैरसायल सं01 व 2 के हक में होने की जानकारी सायला को दिनांक 11.09.1995 से ही है। सायला के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 13.09.1989 को किसी भी सक्षम न्यायालय आदिनांक तक निरस्त नहीं कराया है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 13.09.1989 आज भी प्रभावी है। गैरसायल सं01 व 2 दिनांक 08.06.1995 से उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे सायला का कोई सम्बन्ध या वास्ता किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है और ना ही सायला का उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। सायला ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि सायला के ससुर जमनालाल पुत्र रामहेत को उक्त विवादित आराजी अपने पिता रामहेत से विरासत में प्राप्त हुई हो। सायला के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मृतक जमनालाल की खातेदारी की भूमि रही है, जिसका जमनालाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्र रामनिवास व अमृतलाल गैरसायल सं01 व 2 के हक में रजिस्टर्ड वसीयत दिनाक 13.09.1989 को उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन में उपस्थित होकर कराई है। जो आज भी प्रभावी है। सायला ने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को तथ्यों को छिपाते हुए इस न्यायालय पेश किया। मृतक जमनालाल के तीन पुत्र बाबूलाल, रामनिवास,अमृतलाल हैं तथा तीन पुत्रियॉ दुर्गी देवी, अंगूरी देवी, कमला देवी हैं जिनमें से दुर्गीदेवी व अंगूरी देवी फौत हो चुकी है, दुर्गी देवी व अंगूरी देवी के वारिसान को व कमला देवी को उक्त मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मृतक बाबूलाल की एक पुत्री प्रेमवती जीवित है, जिसको भी उक्त मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण दावा व प्रार्थना पत्र हाजा में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज है। इस प्रकार सायला क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र नॉन जोईण्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज का नुक्स एवं अनक्लीनहैण्ड होने से सायला कानूनन साम्य के सिद्धान्त की कोई भी रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी प्रतीत नहीं होती है और ना ही उसके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराया है। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि प्राईमाफेसी केस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल सं01 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित हैं। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायल सं01 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायल सं01 व 2 को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किये जाने पर सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 1698 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् पूर्व में जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2019 विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.01.2021

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner